Drnilesh.thawarey@gmail.com
Drnilesh.thawarey@gmail.com

सं.वी. 25011/276/2009-एचआर
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 5 मई, 2010

आदेश

यह आदेश 1991 की सिविल रिट याचिका सं. 31904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 3.8.2009 के आदेश के अनुसरण में पारित किया जाता है जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया है कि "याचिकाकर्ता विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अभिलेख प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दे सकता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में होगा तो प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह के भीतर एक सुविवेचित एवं आख्यापक आदेश द्वारा मामले पर निर्णय देगा। यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई का वैयक्तिक अवसर प्रदान किया जाएगा।

एनईएचएम ने डा. एन.के.अवस्थी के जरिए सचिव के समक्ष एक अभ्यावेदन दिनांकित 28.10.2009 फाइल किया जो 30.11.2009 को प्राप्त हुआ। इस अभ्यावेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

1. इलेक्ट्रोपैथी जड़ी-बूटी पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है और इसकी औषधें आसवित जल की सहायता से औषधीय पादपों से तैयार की जाती हैं। इसलिए इसकी औषधें शत-प्रतिशत सुरक्षित एवं रोगहर हैं।

2. किसी रोगी की मृत्यु के बारे में सरकार को एक भी शिकायत नहीं मिली है/सरकार के पास एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

3. इलेक्ट्रोपैथी के समर्थन में अनेक न्यायालयी निर्णय दिए गए हैं। इस दावे के समर्थन में अभ्यावेदन के साथ इन मामलों से संबंधित आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई हैं।

4. न्यायालयी मामलों के अलावा, अभ्यावेदन में विश्व परिषद के साथ संबंधन, जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिर्पोट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री के

------2/-

दिनांक 14.6.91 एवं 17.6.91 के पत्र, सरकारी चिकित्सा परिषदों के पत्र, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना, गैर सरकारी विधेयक, पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पत्र, इंडियन जर्नल आफ वेटरिनेअरी मेडिसिन, पंजाब एग्रीकल्चरल मैगजीन, लुधियाना में प्रकाशित लेख, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना और एसएसपी आगरा (उत्तर प्रदेश) के पत्र, मध्य प्रदेश सरकार के पत्र तथा इलेक्ट्रोपैथी संबंधी कुछ प्रकाशन (पुस्तकें एवं पत्रिकाएं) भी प्रस्तुत किए गए हैं।

5. डा. अवस्थी ने अभ्यावेदन किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के संवर्धन, विकास एवं अनुसंधान (शिक्षा एवं प्रैक्टिस) के लिए एनईएचएम को शुरू में कम-से-कम 15 वर्षों की अनुमति दे कर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को आश्रय देना चाहिए जिससे कि बिना किसी बाधा के नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदण्ड हासिल किए जा सकें।

6. मंत्रालय में अभ्यावेदन की जांच की गई। इसके तथ्य निम्नलिखित हैं :

(i) अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 1992 के वाद सं. 27 के अंतर्गत दिनांक 14.8.92 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि वाद की विचाराधीनता के दौरान वादी के कार्यकलाप के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना जारी न की जाए।

(ii) एफएओ सं. 1998 का 1205 में दिल्ली उच्च न्यायालय के नवम्बर, 1998 का आदेश: सार्वजनिक सूचना में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं. 10 से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) एसएलपी सं. 11262/2000 (भारत संघ बनाम नेचुरो इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकोज ऑफ इंडिया) में 12.01.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश :

"प्रत्यर्थी के लिए विद्वत काउंसेल ने बतलाया है कि उनके अनुदेशों के अनुसार अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर उपदर्शित सीमा तक सी.डब्ल्यू.पी. सं. 4015/96 में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और मामले के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्देश गैर-आपवादिक है"

"12.10.2000 को हमारे द्वारा दिए गए आदेश तथा इस बात के मद्देनजर कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, सीडब्ल्यूपी सं. 4015/96 में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए हम मामले पर विचार करने से इनकार करते हैं।"

... 3/-

(iv) जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.3.1999 के आदेश 2957/94 जिसमें अनिवार्यतः यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा किसी भी विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस किसी भी संविधि द्वारा विनियमित नहीं होती है और इसलिए विनियमन/प्रतिषेध के अभाव में उन्हें प्रैक्टिस बंद करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस अथवा शिक्षण को शासित करने संबंधी कोई भी विधान संघ अथवा राज्य द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्रवाई की है। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह अधिनियम केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही लागू होता है तथा न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय के ध्यान में कोई और विधि नहीं लाई गई थी। जब तक इस शाखा को विनियमित करने के लिए कोई वैद्य कानून नहीं बनाया जाता तब तक याचिकाकर्ता को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा प्रदान करने से रोकना गैर कानूनी है।

(v) रिट याचिका सं. 2462/08 में जबलपुर बेंच, ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें दिशानिर्देश दिए गए थे कि रिट याचिका 2957/94 में आदेश लागू होंगे।

उपर्युक्त के अलावा दसई चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री द्वारा दिनांक 17.6.1991 को श्री जगन्नाथ सिंह, सांसद को भेजा गया अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 2921/डीएम (एच एंड एफ डब्ल्यू) 91/वीआईपी को भी संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

> "मैंने भारत में इलेक्ट्रोपैथी के विकासात्मक संवर्द्धन और अनुसंधान के लिए एनईएचएम इंडिया को प्राधिकृत किया है।"

भारत सरकार द्वारा महानिदेशक आईसीएमआर की अध्यक्षता में गठित "विशेषज्ञ स्थाई समिति " की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 25 नवंबर, 2003 आदेश संख्या आर. 14015/25/96-यू एंड एच (आर) (पार्ट) जारी किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं:

समिति ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और योग एवं नैचुरोपैथी, जिन्हें चिकित्सा पद्धति की मान्यता संबंधी समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य एवं वांछनीय मानदंड पूरा करते हुए पाया गया था, के सिवाय वैकल्पिक पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की थी।

..... 4/-

समिति ने यह और सिफारिश की थी कि पृथक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान न की गई चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्रियां जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। थेरेपी के रूप में माने जाने वाली पद्धति पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के रूप में की जा सकती है।

तथापि, समिति ने सिफारिश दी की थेरेपी के रूप में अर्हक एक्यूपंक्चर जैसी कतिपय प्रैक्टिसों को पंजीकृत प्रैक्टिशनरों अथवा उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रैक्टिस करने हेतु अनुमति दी सकती है।

अनिवार्य और वांछनीय मानक के आधार पर समिति ने इलैक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में अर्हक होना नहीं पाया। अतः यह स्पष्ट है कि इस आदेश के अनुसार इलैक्ट्रोपैथी पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं कर सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले "डॉक्टर" शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

एनईएचएम, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुसार एनईएचएम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है न कि पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

जहां तक उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्विज्ञान परिषद् जैसा संबद्ध निकाय/ सांविधिक निकाय पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। चूंकि इलैक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अतः स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके द्वारा संचालित किसी भी पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली नहीं है।

एनईएचएम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अनुसार यह चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य और वांछनीय मानकों की पूर्ति करता हो।

तथापि दिनांक 25 नवंबर, 2003 का आदेश संख्या आर. 14015/25/96-यू एंड एच (आर) (पार्ट) इलैक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान को प्रतिषेध नहीं करता है।

---- S/-

यहां उद्धृत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तब तक याचिकाकर्त्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के आदेश संख्या आर.14015/25/96-यू एंड एच (आर)(पार्ट) के प्रावधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियमन होने के पश्चात् किसी भी क्रियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा। याचिकाकर्त्ता के 28.10.2009 के अभ्यावेदन का तद्नुसार निपटान किया गया है।

इसे इस मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मो. सलीम)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061986

सेवा में,

भारत के एनईएचएम प्रमुख कार्यालय सी-2 सी/123, पॉकेट 12, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:

1. श्री रवि भूषण सिंघल, भारत के सहायक महान्यायाभिकर्त्ता, 200, लूकरगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. श्री रवि भूषण सिंघल, भारत के सहायक महान्यायाभिकर्त्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

(मो. सलीम)
अवर सचिव, भारत सरकार